राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःपीएफ 2512/संस्था/बीमा/2022/ दिनांक : 12-05-2022

आदेश 98

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की **श्रीमती प्रेम देवी, च.श्रे.क, जिला कार्यालय अजमेर** का राजकीय सेवा में रहते हुये दिनांक **08.11.2021** को निधन हो जाने पर उनके आश्रित पुत्र **श्री रविकांत कामड़** को विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप.7(2)डीओपी/क-2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तो पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में **कनिष्ठ सहायक** के पद पर नियुक्ति दी जाती हैं।

श्री रविकांत कामड़ को विभागीय कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **अजमेर** में पदस्थापित किया जाता है। अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण(Duty Joining) करना होगा।

उक्त प्रावधानों के तहत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर **कनिष्ठ सहायक** के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1 आवेदक की कक्षा 10 की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र के अनुसार **जन्मतिथि 06.05.1993** अंकित है।

2 इन्हें परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची-4 में उल्लेखित शर्तो के अनुसरण में रूपये 14600/- (फिक्स) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।

3 इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर रनिंग पे बेण्ड 5200-20200 (पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या 5) में निर्धारित, सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4 **अभ्यर्थी को कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 एवं परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार सुसंगत नियमो में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हता नियुक्ति के पश्चात् परिवीक्षाकाल में अर्थात 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि वह उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी लम्बी अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा, उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।**

5 **कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के अनुसार अभ्यर्थी को स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा तीन वर्ष के भीतर, जब तक कि कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि शिथिल न की जाये, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता हैं तब तक उसे कोई वार्षिक ग्रेड, वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी। ऐसी अर्हताएँ अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जावेगी, किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।**

6 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगी।

7 यदि अभ्यर्थी निश्चित अवधि 15 दिवस में भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

8 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

9 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश स्वतः ही लागू होगें, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।

10 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–
1. **पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र** 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, 6. दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र 7. मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित, कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं **अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक, अर्थात दोनों ही दशाओं में**, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये, के संबंध में शपथ पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों की मूल प्रतियां कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर सत्यापित प्रतियां(एक सेट) प्रस्तुत करनी होंगी अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः **पीएफ 2512/संस्था/बीमा/2022/**2478-90 दिनांक : 12-05-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ अति.निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 10 की पालना सुनिश्चित करे।
7. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
8. केडर स्ट्रैंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारित लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
9. **श्री रविकांत कामड़**, पुत्र स्व **श्रीमती प्रेम देवी**, पताः– मेहत्ता मोहल्ला भिनाय तह–भिनाय जिला अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आपको उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 10 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे।
10. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

10.5.22
(डॉ. भागचन्द बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर